राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1754/2024

श्रीराम मीणा **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (A-2/Inquiry), कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.05.2024

आदेश की दिनांक : 07.06.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए खण्ड अलवर में अधिशाषी अभियंता के पद पर निरंतर कार्य करने के आदेश दिये जावें तथा समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड अलवर में कार्यरत है

और आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश में बिना कोई कारण बताये अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.09.2013 के द्वारा कार्मिक विभाग ही राज्य सेवा अधिकारी के पदों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, जो उच्च स्तर पर अनुमोदित होने के उपरांत की जाती है और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को निलंबित नहीं किया जाना चाहिये। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के द्वारा निलंबन के प्रस्ताव पुष्टि हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा 15 दिवस के भीतर और अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये तो निलंबन निष्प्रभावी मानते हुये अधिकारी स्वतः ही बाहर माना जावेगा। निलंबन आदेश कोई दण्ड नहीं है, परंतु कार्मिक के दुर्व्यवहार एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के आधार पर ही जारी किया जाना चाहिये और ऐसे मामलों में माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अशोक कुमार अग्रवाल की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कथन है कि सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 22.02.2024 के नोटिस प्राप्त हुये, जिसमें कहा गया कि डाक बंगला परिसर, अलवर जिसमें निजी व्यक्ति ने बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है, परंतु अपीलार्थी ने उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि लगाये गये आरोपों में मेरी कोई भूमिका नहीं है और मेरे द्वारा कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं होने के बावजूद आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा सीसीए नियमों के तहत 1958 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुये निलंबित किया गया है, जो नोटिस दिनांक 22.02.2024 के आधार पर आरोप लगाया गया है। जबकि संबंधित सहायक अभियंता निजी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पूर्ण जिम्मेदार है। परंतु उसे रोके जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप लगाये गये हैं। राजस्व विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.07.2004 के अंतर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा सेक्शन 91 के अंतर्गत सहायक अभियंता को दिये गये अधिकारों को वापिस लेते हुये तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को दिये गये हैं। इस प्रकार उक्त अतिक्रमण रोकने संबंधी कार्यवाही अपीलार्थी के कार्यक्षेत्र में न आते हुये भी गलत आरोप लगाते हुये अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को निलंबन होने के तीन माह पश्चात् भी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है। जबकि किसी भी कार्मिकों के निलंबन होने के तीन माह के अंदर आरोप पत्र दिया जाना

नियमानुसार बताया है। ऐसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान प्रकरण में भी अपीलार्थी को निलंबित हुये तीन माह से अधिक का समय हो चुका है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह की अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया गया है, जो उक्त विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए खण्ड अलवर में अधिशाषी अभियंता के पद पर निरंतर कार्य करने के आदेश दिये जावें तथा समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियम 13 सीसीए के अनुसार आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा निलंबित किया गया, जिससे की जांच प्रभावित न हो सके और निलंबन आदेश कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2024 के द्वारा पुष्ट किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग डाक बंगलों की भूमि पर बाउंड्री वॉल में गेट का निर्माण कर निजी व्यक्ति द्वारा कब्जा किये जाने पर उसे रोकने के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये सीसीए नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 08.04.2024 के द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये जिम्मेदार पाये जाने पर सीसीए नियम 16 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड अलवर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र

दिनांक 19.09.2013 के द्वारा कार्मिक विभाग ही राज्य सेवा अधिकारी के पदों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, जो उच्च स्तर पर अनुमोदित होने के उपरांत की जाती है और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को निलंबित नहीं किया जाना चाहिये। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के द्वारा निलंबन के प्रस्ताव पुष्टि हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा 15 दिवस के भीतर और अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये तो निलंबन निष्प्रभावी मानते हुये अधिकारी स्वतः ही बाहर माना जावेगा। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह तक आरोप पत्र नहीं दिये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के संबंध में आरोप पत्र दिया जा चुका है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है और अधिकरण के समक्ष बहस के दौरान तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है, जो लगभग 3 माह 10 दिवस से अधिक अवधि उपरांत भी अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :—

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that*

previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.

So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore, these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."

इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी का नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य